राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 18, 19, 20, 21 व 22/2015/.....जिला–अलवर.....

उनवान– मैसर्स टेफे मोटर्स एवम् ट्रैक्टर्स, अलवर बनाम् वा.क.अ., वृत्त–प्रतिकरापवंचन, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2015	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक **22.12.2014,** जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम 20 के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें वा.क.अ., वृत्त–प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की **धारा 15(1), 15(2) व 34(ए)** के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष **2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 व 2013–14** के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक **10.10.2014** में कायम की गयी क्रमशः वसूली योग्य मांग राशियों में से **रू.1,11,385/–, रू.2,10,843/–, रू. 2,68,702/–, रू.3,35,150/– व रू.2,92,230/–** पर रोक लगाने से इन्कार करने को विवादित कर, क्रमशः उक्त राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री कान्ति मेहता व विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक 08.01.2015 को उपस्थित हुये । रोक आवेदन पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के संबंध में किसी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है जो अस्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है । गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पोलीथीन कवर बैग, पोलीथीन बैग, प्रिन्टेड व लेमीनेटेड पाउच क्रय किये गये हैं न कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में प्रवेश कर के तहत् जारी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या–65 में अंकित वस्तुयें यथाः–एचडीपीई बैग्स, प्लास्टिक बैग्स एवम् सैक्स। कथन किया कि प्लास्टिक बैग्स थिन फलैक्सिबल, प्लास्टिक फिल्म, नोनवूवन फैब्रिक्स एवम् प्लास्टिक टैक्सटाईस से बनी हुयी होता हैं जबकि पोलीथीन बैग्स एथीलीन से निर्मित होती हैं । अतः पोलीथीन बैग्स प्लास्टिक की श्रेणी में नहीं आने केकारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत वस्तुओं पर प्रवेश कर के दायित्वधीन नहीं है। विशिष्ट रूप से अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स	

09.01.2015

इण्डिया व मैसर्स दिनेश पाऊचेज़ लि. के प्रकरणों में क्रमशः दिनांक **31.05.2000** व दिनांक **21.08.2007** को दिये गये निर्णयों को प्रोद्धरित कर कथन किया कि चूंकि मैसर्स दिनेश पाऊचेज के निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **"अधिनियम, 1999"** को **"असंवैधानिक"** घोषित कर दिया है, अतः ऐसी स्थिति में, प्रथम–दृष्ट्या प्रकरण में वसूली पर रोक लगाने के संबंध में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रंकट किया गया । अतः ऐसी स्थिति में, इस आधार पर भी प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, वसूली योग्य मांग राशि क्रमशः रू.**1,11,385/–, रू. 2,10,843/–, रू.2,68,702/–, रू.3,35,150/– व रू.2,92,230/–** पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य **डी.बी.सी. डब्लू.पी. क्रमांक 13765/2010 निर्णय दिनांक 01.12.2010** को प्रोद्धरित कर, कथन किया गया कि "**अधिनियम, 1999**" संवैधानिकता का बिन्दु माननीय शीर्ष न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष न्यायाधीन है । अतः ऊपर वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रकरण सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया गया तथा वसूली पर प्रस्तुत किये गये रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। "प्रवेश कर अधिनियम," की धारा 24(4) के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जो इस प्रकार हैः–**धारा 24(4). –Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the payment of tax or penalty of any other amount, payable in accordance with any order passed by the appellate authority under section 23 shall not, pending disposal of the appeal, be stayed by the Tax Board.** अतः उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, यह पीठ अनुभव करती है कि प्रकरण में चूंकि अपील अधिनियम की धारा 24(1) के तहत् ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है तथा **अपील का निस्तारण शेष रहने के कारण, उक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, प्रकरण में विवादित कर, शास्ति व अनुवर्ती ब्याज की वसूली पर रोक लगाने अधिकारिता कर बोर्ड की इस पीठ को नहीं है ।** अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति/तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र/अपील अस्वीकार किये जाते हैं ।

निर्णय प्रसारित किया गया।

9.1.2015

(मदन लाल)